

11/4/22
20/5/22
शारीर
हुसम

हुसम या कार्यवाही नये इतिनिमित्तम् अथ

पत्र
संख्या
दिनांक
पृष्ठ संख्या

10/4/2023

मैट्रेड सुभा

अशुभ
हुसम
E-d
Elect

आज गड परापूर्वी अपीलनामा प्राप्तम् एवं पुत्र गुन्ने एवं वगैरे वर्षे वकील पेश प्राचीना पत्र दिनांक 10/4/2023 के आधार पर निम्न विधि से पूर्व तलब वीरपेश हुई।


वकील अपीलनामा द्वारा प्राचीना पत्र दिनांक 10/4/2023 के साथ पत्रकारान के प्रथम हुपे राशीनामा की प्रति पेश की गयी है जिसमें अंकित किया गया है, कि अपीलनामा व रैजिस्ट्रेशन सेल्वा 3 व 4 के प्रथम लोक अदालत की आज्ञा से समाज विरादरी के मौजिज व्यक्तिओ भी समझारिस के अन्तर्गत आपसी राशीनामा दी गया है। मुताबिक राशीनामा अपील में वर्णित आराजी (पत्रा नं 79 रकबा) 56 ऐयर, 892 रकबा 49 ऐयर वाले गाम पीपरोली बध्नील नामगाड जिला अलवर का 2/10 दिसा रैजिस्ट्रेशन सेल्वा 3 व 4 का रहेगा। क्योंकि रैजिस्ट्रेशन सेल्वा 3 व 4 के एक से पूर्व से ही राजपत्र रिजार्ड में नामान्तरकण दर्ज हो चुका है। अब हम अपीलनामा की उपरोक्त आराजीयत पत्रा नं 79 के 2/10 दिसा से कोई नैना देना वास्तव में सरोकार नहीं रहेगा, न ही कोई एक व दिसा रहेगा। कपनामा के आधार पर अविषय से अपीलनामा अर्थवा उनके वारिसान नामान्तरकण दर्ज नहीं करावेगे। न ही जमाकदी में अमल करावेगे। 74 नं 2/10 दिसा रैजिस्ट्रेशन सेल्वा 3 व 4 का रहेगा।

अतः अपील में पत्रकारान के प्रथम हुपे राशीनामा दिनांक 10/4/2023 का अन्तरेण निम्न गद्या अपील में वर्णित आराजी (पत्रा नं 79 रकबा 56 ऐयर, 892 रकबा 49 ऐयर वाले गाम पीपरोली बध्नील नामगाड जिला अलवर का 2/10 दिसा रैजिस्ट्रेशन सेल्वा 3 व 4

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

रीख सम	हुकम या कार्यवाही अथ वनिशियल्स जज	नम्बर व त जो इस हु जारी हए
-----------	-----------------------------------	----------------------------------

का रहेगा। क्योंकि रेस्पॉडेन्टस सेल्फा
 3 व 4 के एक से पूर्व मे ही नामान्तरण
 दर्ज ही हुआ है। अपीलान्टस का उपरोक्त
 आराजी पत्रा नं 2/10 दिस्ता ने कोई
 लेना देना वास्ता व सरोकार नहीं रहेगा,
 न ही कोई एक व दिस्ता रहेगा। बपनामा
 के आधार पर अविज्य मे अपीलान्टस अर्थात्
 उनके वापिसान नामान्तरण दर्ज नहीं करायेगे।
 न ही पत्रा नं 2/10 दिस्ता ने अपील करायेंगे। उम्न 2/10
 दिस्ता रेस्पॉडेन्टस सेल्फा 3 व 4 का रहेगा।
 अपील मे पत्राकारान के प्रथम हुए रासीनामा
 दिनांक 10/4/2023 को तत्वीक किया जाकर
 शामिल किया गया। कोडेथिका/पत्राकारान
 के प्रथम हुए रासीनामा दिनांक 10/4/2023 की
 प्रमाणित प्रति तहत अदालत की तहत रिकार्ड
 के साथ वापस पावनाब लोरापी जावे। पत्राकारान
 के प्रथम हुए रासीनामा दिनांक 10/4/2023 की
 प्रमाणित प्रति तहत अदालत की तहत रिकार्ड
 के साथ वापस पावनाब लोरापी जावे। पत्राकारान


 अतिरिक्त जिम्मा कलेक्टर (प्रथम)
 अलावर (राज०)

प
श
०
T
T
ग
स